

उत्तर प्रदेश में किफ़ायती, भरोसेमंद और ज़िम्मेदार विद्युत क्षेत्र का गठन

#UPPOWER

पॉवर फाइनेंस कॉर्पोरेशन द्वारा हाल ही में राज्यों की बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) के लिए स्वतंत्र रूप से आयोजित एकीकृत रेटिंग अभ्यास में, 41 वितरण कंपनियों के मूल्यांकन में उत्तर प्रदेश की पांच में से चार कंपनियों का स्थान 35 से 39 के बीच था।

तकरीबन 1 करोड़ 40 लाख से अधिक परिवारों तक बिजली पहुंचाना बाकी है। इससे पता चलता है कि राज्य की बिजली वितरण कंपनियों पर आने वाला तकनीकी, वित्तीय, प्रशासकीय और प्रबंधकीय भार काफी विशाल है। बिजली वितरण कंपनियों की वित्तीय और कार्यात्मक क्षमताओं में मौजूदा प्रणाली सुधार नहीं ला पाई है, और ना ही उपभोक्ताओं के लिए गैर-प्रदूषणकारी, पर्याप्त, भरोसेमंद और किफायती बिजली उपलब्ध करा पाई है।

वितरण कंपनियों द्वारा अपने अधिदेश को परिपूर्ण करने और बिजली क्षेत्र में तेज़ी से हो रहे बदलाव के साथ सामंजस्य बिठाने के लिए जरूरी है कि सभी हितधारक — डिस्कॉम प्रबंधन, इसके कर्मचारी, उपभोक्ता, नागरिक समाज एवं निजी क्षेत्र इसमें सहयोग दें।

काउंसिल ऑन एनर्जी, एनवायरनमेंट एंड वाटर (सीईईडब्ल्यू), भारत की अग्रणी गैर-लाभकारी नीति शोध संस्थाओं में से एक है, जिसके शोध दल लखनऊ और दिल्ली में स्थित हैं। ये शोध दल अपने स्वतंत्र शोध एवं प्रमुख हितधारकों को संयोजित करने की क्षमता के माध्यम से राज्य के विद्युत क्षेत्र में होने वाले सुधारों को समर्थन देंगे।

तस्वीर: पिकसावे

30,000 करोड़

रुपये का यूपी में बिजली वितरण कंपनियों को संयुक्त रूप से घाटा हुआ, जो कि 2016-17 के वित्त वर्ष में सभी राज्यों की तुलना में सबसे अधिक रहा।

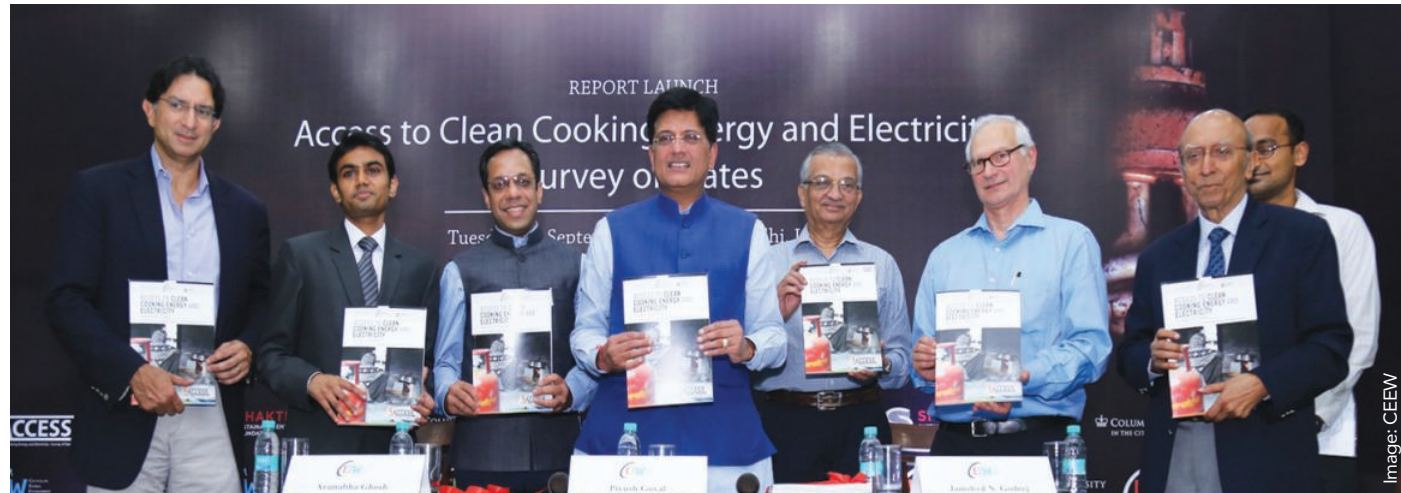
स्रोत: पीएफसी 2017

524 यूनिट

वर्ष 2016-17 में राज्य में प्रति व्यक्ति बिजली की खपत रही, जो कि भारतीय औसत 1075 यूनिट से काफी कम है।

स्रोत: यूपी का "पॉवर फॉर ऑल" रोड मैप

उत्तर प्रदेश में सीईईडब्ल्यू के पिछले शोधकार्य



“सीईईडब्ल्यू का एक्सेस अध्ययन बिजली आपूर्ति के अभाव से ग्रामीण इलाकों में होने वाली समस्याओं का विश्लेषण एक समग्र दृष्टिकोण से करता है। इस विषय से जुड़ी चर्चाओं के लिए यह किताब एक उपयोगी संदर्भ-पुस्तिका बन सकती है।”

श्री पीयूष गोयल, माननीय रेलवे, कोयला और वित्त मंत्री
2015 में एक्सेस अध्ययन का विमोचन करते हुए

उत्तर प्रदेश में सभी को 24x7 बिजली

नीतिसंक्षेप | 2017

18 जिले | 3,024 परिवार

2015 में, सीईईडब्ल्यू ने कोलंबिया विश्वविद्यालय के सहयोग से एक्सेस टू क्लीन कुकिंग एनर्जी एंड इलेक्ट्रिसिटी-सर्वे ऑफ स्टेट्स (खाना-पकाने के लिए स्वच्छ उर्जा और बिजली की पहुंच-राज्यों का सर्वेक्षण) (एक्सेस) किया था। यह भारत में आज तक का सबसे बड़ा ऊर्जा-पहुंच सर्वेक्षण है, जिसमें भारत के छः सबसे अधिक ऊर्जा वंचित राज्यों के 8,500 से अधिक परिवार शामिल थे, जिनमें उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है। वर्ष 2018 में, हम एक्सेस सर्वेक्षण के दूसरे चरण से प्राप्त जानकारी के हिसाब से उत्तर प्रदेश-विशिष्ट निष्कर्ष प्रकाशित करेंगे। सर्वेक्षण का दूसरा चरण अभी चल रहा है।

19% परिवार उत्तर प्रदेश में अपना बिजली का बिल नहीं भरते।

स्रोत: एक्सेस अध्ययन, 2015

75% विद्युतीकृत घरों को उत्तर प्रदेश में दिन में 12 घंटे से भी कम समय तक बिजली मिली।

स्रोत: एक्सेस अध्ययन, 2015

सीईईडब्ल्यू के विद्युत् क्षेत्र से जुड़े प्रकाशन

सिंचाई के लिए सौर ऊर्जा अपनाना: उत्तर प्रदेश के किसानों का दृष्टिकोण

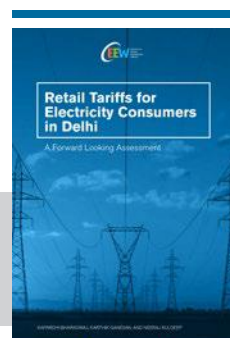
रिपोर्ट | 2018

10 जिले | 160 गांव | 1,600 किसान

वर्ष 2017 में शक्ति सस्टेनेबल एनर्जी फाउंडेशन के समर्थन से सीईईडब्ल्यू ने राज्य में सिंचाई संबंधी चुनौतियों को समझने और राज्य भर में लगाए गए सौर उर्जा-संचालित सिंचाई पंपों से जुड़ी किसानों की धारणाओं का पता लगाने के लिए 1,600 किसानों का प्राथमिक सर्वेक्षण किया। यह अध्ययन जनवरी 2018 में नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री अमिताभ कांत द्वारा विमोचित किया गया।



नीति संक्षेप/पॉलिसी ब्रीफ | DEC 2014



रिपोर्ट | MAR 2017

उत्तर प्रदेश बिजली क्षेत्र सुधार का समर्थन

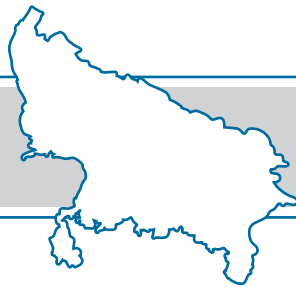


Image: Abhishek Jain / CEEW

सीईईडब्ल्यू दृष्टिगत करता है कि 2022 तक, नीति-निर्माताओं की बिजली वितरण कंपनियों के वित्तीय प्रदर्शन से जुड़ी चिंताओं का समाधान हो जाना चाहिए। इसे परिपूर्ण करने के लिए सबसे अहम होगा उपभोक्ताओं, बिजली वितरण कंपनियों और नियामक आयोग के बीच के अंतर को पाटने के लिए एक कार्यनीति तैयार की जाए, जिससे सुधार को लेकर माहौल अनुकूल हो सके। इस संबंध में हम राज्य के बिजली क्षेत्र के तीन प्रमुख मुद्दों का विश्लेषण करना चाह रहे हैं।

जिम्मेदार उपभोक्ता आधार तैयार करना



बेहतर बिजली व्यवस्था को आकार देने में, उपभोक्ताओं, के विचार, उनकी व बिजली वितरण कंपनियों की भूमिका के बारे में नीति निर्माताओं को सूचित किया जाएगा। ये सूचना शहरी व ग्रामीण परिवारों के सर्वेक्षण के माध्यम से दी जाएगी, जिसमें हम बिजली के उपयोग एवं आवश्यकता, चोरी और भुगतान न करने के सामाजिक संचालकों और कानूनी बिजली आपूर्ति के लिए भुगतान करने की इच्छा रखने वाले लोगों का आकलन करेंगे।

डिस्कॉम में संस्थागत सुधार में सहायक बनना



डिस्कॉम के भीतर शासन-प्रणाली और जवाबदेही में सुधार लाने को लेकर नीतिगत सुझाव प्रदान करने के लिए, हमारे शोधकर्ता डिस्कॉम (प्रबंधन और कर्मचारी आधार) की क्षमता संबंधी आवश्यकताओं और बाधाओं का आकलन करेंगे, संस्थानों के भीतर शक्ति-संबंधों और मौजूदा प्रोत्साहन-युक्ति का अध्ययन करेंगे। साथ ही साथ, इस प्रयास में अन्य राज्यों के डिस्कॉम द्वारा अपनाई गई श्रेष्ठ प्रणालियों का भी अध्ययन किया जाएगा।

विद्युत् खरीद और रिटेल टैरिफ संरचना का पुनर्गठन करना



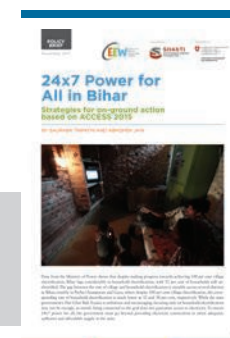
बिजली वितरण कंपनियों के लिए राजस्व प्राप्ति में सुधार लाने और इष्टतम विद्युत् खरीद के लिए कार्यनीति बनाने में हम डिस्कॉम, नियामक आयोग और उपभोक्ता समूह के साथ जुड़कर, आगामी वर्षों के लिए राज्य की बिजली आवश्यकताओं का अनुमान लगाएंगे और उत्तर प्रदेश विद्युत् निगम लिमिटेड (यूपीपीसीएल) के मौजूदा पॉवर परचेज एग्रीमेंट (पीपीए) का आकलन करेंगे।



नीति संक्षेप/पॉलिसी ब्रीफ | SEP 2017



रिपोर्ट | OCT 2017



नीति संक्षेप/पॉलिसी ब्रीफ | NOV 2017



अपकर्मिग पॉलिसी ब्रीफ

